न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : बृज मोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : पाली/निर्णय/05/2014

केशरसिंह पुत्र प्रतापसिंहजी जाति राजपूत निवासी बांकली तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

.... अपीलार्थी

ब ना म

1. राज. राज्य जरिये जिला कलेक्टर, पाली (राज.)
2. प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय (शक्ति माता कॉलोनी), बांकली तहसील सुमेरपुर जिला पाली
3. तहसीलदार महोदय, सुमेरपुर

.... रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थिति :–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलार्थीगण।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय दिनांक : 03/08/2021

1. उपरोक्त अपील धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम के तहत् अपीलार्थी द्वारा अधिन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर के आदेश क्रमांक/राजस्व/2013/1601 दिनांक 16.07.2013 ग्राम बांकली के खसरा नम्बर 384 में से 0.80 हैक्टेयर भूमि को स्कूल हेतु आवंटित किये जाने के विरूद्ध पेश की गई, जिसे दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। दोनों पक्षो की बहस सुनी गई।

2. अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम बांकली के खसरा नम्बर 384 रकबा 123.82 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन भाकर की भूमि में से संलग्न नक्शे में प्रस्तावित 0.80 हैक्टेयर भूमि को अपीलाधीन आदेश के द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 2 को स्कूल के भवन व खेल मैदान हेतु निःशुल्क आरक्षित कर आवंटन की गई है। उपरोक्त खसरा नम्बर 384 में मंदिर बना हुआ है, साथ ही ग्रामवासियों के आवासीय मकानात एवं अपीलाण्ट सहित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

ग्रामवासियों के पुश्तैनी बाड़े बने हुए है और काफी भूमि मौके पर खाली भी स्थित है। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 द्वारा स्कूल के भवन व खेल मैदान हेतु खसरा नम्बर 384 में से आवंटन चाहा गया था, जिस बाबत् ग्राम पंचायत बांकली से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 25.06.2013 को जारी किया था, जिस अनुसार खसरा नम्बर 384 में जहां पर मेघवालों की बस्ती बसी हुई है और माताजी का मंदिर बना हुआ है, उसके पीछे पडी खाली जमीन को आवंट्ति किये जाने की अनुशंषा की गई थी और नक्शे में प्रस्तावित स्थल को दर्शित करते हुए नक्शा ट्रेस पेश किया गया था। रेस्पोडेण्ट संख्या दो उपरोक्त आवंटन आदेश की ओट में अपीलार्थी व अन्य ग्रामवासियों के बाडे बने हुए है साथ ही मेघवालो का पुरा बास व माताजी का मंदिर बना हुआ है, उसी स्थान पर स्कूल का निर्माण करने पर आमादा है, जबकि उपरोक्त सभी स्थान को छोडकर शेष पडी खाली भूमि में आवंटन किया गया था। स्कूल का निर्माण आवंटित स्थल पर नहीं कर अन्य जगह जहां अपीलाण्ट एवं अन्य लोगो के बाडे बने हुए है, के स्थान पर जबरन किया जाकर अपीलाण्ट व अन्य को बेदखल करने पर आमादा है। अपीलाण्ट का करीब 30 वर्षो से अधिक समय से उपरोक्त बाडे पर पुश्तैनी आधिपत्य है तथा आवंटन स्थल से काफी दूर उक्त बाडा स्थित है, फिर भी जबरन बेदखल करने पर आमादा है। अपीलार्थी कई दशको से काबिज है, इसलिए बिना बेदखल किये उपरोक्त भूमि का आवंटन किसी व्यक्ति या संस्था को नहीं किया जा सकता है, आवंटन से पूर्व अपीलार्थी के आधिपत्य को कन्सीडर किया जाना आवश्यक है, क्योंकि अपीलार्थी का बाड़ा काबिल नियमन है, ऐसी स्थिति में अन्य पडी खाली भूमि पर स्कूल का निर्माण किया जा सकता है। खसरा नम्बर 384 का कुल रकबा 123.82 हैक्टेयर अर्थात् 771 बीघा है, जिसमें से केवल 0.80 हैक्टेयर अर्थात् 5 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है। उपरोक्त आवंटन की तरमीम ग्राम पंचायत द्वारा दी गई एन.ओ.सी. अनुसार की जानी चाहिए थी। मुख्य विवाद तरमीम गलत किये जाने एवं आवंटन आदेश की ओट में अपीलार्थी को बेदखल किया जाना है, जो अवैधानिक है। आवंटन आदेश के विपरीत गलत स्थान पर तरमीम किये जाने का दण्ड अपीलार्थी को नहीं दिया जा सकता है। आवंटन से पूर्व और तरमीम से पूर्व अपीलार्थी का कब्जा कभी भी मौके से नहीं हटाया है, आज भी अपीलार्थी काबिज है। प्रस्तावित स्थल के विपरित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

की गई तरमीम के संबंध में नक्शा ट्रेस की प्रति पेश की तथा बताया कि प्रस्तावित स्थल के विपरीत जगह पर तरमीम करने से विवाद उत्पन्न हुआ है, इस कारण से अपील स्वीकार की जावें।

3. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा लिये गये स्थगन आदेश से स्कूल का निर्माण रूका हुआ है, इस कारण से अपील को खारिज की जावें। साथ में यह भी निवेदन किया कि आवंटन आदेश के आधार पर ग्राम पंचायत की एनओसी में वर्णित स्थान पर ही तरमीम की गई है। इस संबंध में मौके का नाप–चौक किया जाकर नक्शे में प्रस्तावित की गई आवंटन सुदा भूमि पर ही निर्माण कार्य किया जाएगा। ग्राम पंचायत द्वारा जिस स्थान हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय में संलग्न नक्शे में दर्शित प्रस्तावित किये गये तरमीम स्थल पर ही निर्माण कार्य किया जाएगा। ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र के विपरीत कोई तरमीम की गई है तो उसे दुरूस्त कर उसी अनुसार तरमीम करते हुए निर्माण कार्य किया जाएगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

4. दोनों पक्षो की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तावित आवंटन स्थल को राजस्व नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है और ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र भी उसी स्थान हेतु दिनांक 25.06.2013 को जारी किया गया, उसमें ग्राम सभा के प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 21.06.2013 अनुसार शक्ति माता कॉलोनी के खसरा नम्बर 384 पटवार हल्का बांकली में जहां पर मेघवालो की बस्ती बसी हुई है और माताजी के मंदिर के पीछे पडी जमीन को आवंटित किये जाने और स्कूल का निर्माण किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है। उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रस्तावित की गई तरमीम अनुसार ही आवंटन सुदा स्थल की तरमीम राजस्व नक्शे में किया जाना आवश्यक है और उसी स्थल पर स्कूल का निर्माण किया जाना चाहिए, इससे विपरीत राजस्व नक्शे में कोई तरमीम की गई है तो वह दुरूस्त योग्य है। अपीलाधीन आवंटन आदेश में हम कोई त्रुटि नहीं पाते है, लेकिन अपीलाधीन आवंटन आदेश की पालना में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रस्तावित स्थान एवं ग्राम़ पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 25.06.2013 में वर्णित अनुसार ही तरमीम किया जाना और स्कूल का निर्माण किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी का जहां पर बाडा स्थित है उस स्थल हेतु ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, न ही उस स्थान हेतु तरमीम प्रस्तावित की गई है, ऐसी स्थिति में प्रस्तावित स्थान पर राजस्व नक्शा ट्रेस में उपरोक्त आवंटन आदेश की तरमीम दुरूस्त किये जाने एवं अपीलार्थी के बाडे को छोडकर स्कूल का निर्माण किये जाने हेतु रेस्पोडेण्ट्स को निर्देशित किया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

लिहाजा अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आंवटन आदेश यथावत बहाल रखा जाता है, परन्तु उपरोक्त आवंटन आदेश की पालना में नक्शा ट्रेस में जो तरमीम की गई है वह अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित की गई तरमीम एवं ग्राम पंचायत बांकली के अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 25.06.2013 में दर्ज प्रस्तावित स्थल से विपरीत की गई है, जो अनुचित होने से निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय एवं रेस्पोडेण्ट तहसीलदार सुमेरपुर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आवंटन आदेश की तरमीम अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित स्थान पर ही की जावे एवं स्कूल का निर्माण भी नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित स्थल पर ही किया जावें, अन्य जगह पर स्कूल का निर्माण नहीं किया जावे, क्योंकि आवंटन आदेश एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित किये गये स्थल में cortradication हो जाएगा। अतः प्रस्तावित स्थल नक्शा ट्रेस के अनुसार ही तरमीम भी दुरस्त की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर आज दिनांक 03/08/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली 3/8/2021
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली (राज.)